प्रेस विज्ञप्ति

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए हिमाचल प्रदेश से सम्बंधित अनुपालन लेखापरीक्षा पर भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का वर्ष 2022 का प्रतिवेदन

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए हिमाचल प्रदेश से सम्बंधित अनुपालन लेखापरीक्षा पर भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का वर्ष 2022 का प्रतिवेदन संख्या 04, भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के प्रावधान के तहत तैयार किया गया है। यह प्रतिवेदन 05 अप्रैल 2023 को राज्य विधानसभा के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

इस प्रतिवेदन में राज्य सरकार के विभागों एवं उनके सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की अनुपालन लेखापरीक्षा से उत्पन्न हुए मामलों को सम्मिलित किया गया है। इस प्रतिवेदन में ₹ 124.43 करोड़ के मुद्रा मूल्य से निहितार्थ तीन विशिष्ट विषय पर अनुपालन लेखापरीक्षा एवं 17 स्वतंत्र अनुपालन लेखापरीक्षा टिप्पणियां समाविष्ट हैं। प्रतिवेदन को निम्नवत छ: अध्यायों में सुनियोजित किया गया है:

वस्तु व सेवा कर के अंतर्गत ट्रांसिशनल क्रेडिट

राज्य कराधान एवं आबकारी विभाग

अंतिम पिछले रिटर्न्स की तुलना में अधिक इनपुट कर क्रेडिट अग्रेषित किए जाने एवं वार्षिक व त्रैमासिक रिटर्न्स के मध्य मिलान न होने के कारण ट्रांजिशनल क्रेडिट के अधिक दावों के उदाहरण पाए गए। यह देखा गया कि आवश्यक रिटर्न्स फाइल किए बिना ट्रांजिशनल क्रेडिट अनुमत किए गए। इसके अतिरिक्त कर अदायगी दस्तावेजों के बिना स्टॉक के रखे माल पर ट्रांजिशनल क्रेडिट अनुमत किया गया एवं पूंजीगत माल पर अधिक इनपुट कर क्रेडिट का अग्रेषण अनुमत किया गया। ये सभी विचलन राज्य सरकार के राजस्व की हानि में परिणत हुए।

वस्तु व सेवा कर के अंतर्गत प्रतिदाय दावों की प्रक्रिया

राज्य कराधान एवं आबकारी विभाग

पावती जारी करने साथ ही प्रतिदाय स्वीकृति में उल्लेखनीय विलम्ब था। कई मामलों में अधिनियमों व नियमों के प्रावधानों से विचलन हुआ जिसके परिणामस्वरूप अनियमित प्रतिदाय किया गया। विभाग प्रतिदाय के पश्चात् की लेखापरीक्षा करने के प्रावधान का पालन करने में विफल रहा। विभाग प्रतिदाय स्वीकृत करने से पूर्व सभी दस्तावेजी प्रमाणों का संग्रह सुनिश्चित करने में भी विफल रहा तथा प्रतिदाय रजिस्टर निर्धारित प्रारूपों में अनुरक्षित नहीं किया गया।

अग्निशमन सेवा विभाग की तैयारी

गृह विभाग

विभाग ने न तो आग की दृष्टि से संवेदनशील भवनों का जोख़िम विश्लेषण किया तथा न ही खतरनाक उद्योगों का कोई डाटाबेस तैयार किया। विभाग ने असुरक्षित भवनों को चिह्नित करने की लोक लेखा समिति की सिफारिशों के बावजूद ऐसे भवनों का कोई डेटाबेस नहीं बनाया। हिमाचल प्रदेश अग्निशमन सेवा अधिनियम 1984, विभाग को अग्नि सुरक्षा मानदंडों के अनुपालन के लिए परिसर में प्रवेश करने/ जांच करने का अधिकार देता है, लेकिन यह अशक्त है क्योंकि इसमें मानदंडों का पालन न करने के लिए अनुपालन एवं दंडात्मक प्रावधानों को लागू करने के प्रावधान नहीं हैं। नमूना-जांचित 23 अग्नि-नियंत्रण केंद्रों में पानी के पर्याप्त एवं विश्वसनीय स्रोत नहीं थे। राज्य में 115 अग्निशमन वाहनों के अनुमोदित बेड़े की संख्या के प्रति केवल 85 अग्निशमन वाहन उपलब्ध थे। इसी समय 2018-21 के दौरान विभाग ने 'मोटर वाहन' के अंतर्गत ₹ 6.22 करोड़ का बजट अभ्यर्पित किया। अपेक्षित 5,055 व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों के प्रति मात्र 728 उपलब्ध थे। आग लगने की घटनाओं के बारे में प्रथम सूचना देने के लिए आबंटित यूनिक टोल-फ्री नंबर (101) राज्य में किसी भी अग्निशमन-चौकी में उपलब्ध नहीं कराया गया जिसके परिणामस्वरूप सम्बन्धित अग्निशमन-चौकी द्वारा सूचना प्राप्त करने एवं प्रतिक्रिया करने में देरी हुई। परिचालन कर्मियों के स्वीकृत 938 पदों की संख्या के प्रति 257 (28 प्रतिशत) पद रिक्त थे, जिसने अग्नि-नियंत्रण केन्द्रों की क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव डाला। 2018-21 के दौरान विभाग ने कार्य के प्रति अग्निशामकों की उपयुक्तता (फिटनेस) का पता लगाने के लिए कोई शारीरिक मूल्यांकन परीक्षण नहीं किया। नमूना-जांचित 22 अग्नि-नियंत्रण केंद्रों में आग की घटनाओं पर देरी से प्रतिक्रिया की गई।

स्वतंत्र लेखापरीक्षा टिप्पणियां

राज्य कराधान एवं आबकारी विभाग

शाखा हस्तांतरण पर इनपुट टैक्स क्रेडिट की अमान्य अनुमति

शाखा हस्तांतरण पर इनपुट टैक्स क्रेडिट को अस्वीकृत करने में निर्धारण अधिकारियों की विफलता ₹ 1.40 करोड़ के इनपुट टैक्स क्रेडिट की अमान्य अनुमति के रूप में परिणत हुई। इसके अतिरिक्त ब्याज भी उद्ग्रहणीय था।

न्यूनतम गारंटीकृत कोटे से कम शराब उठाने पर शास्ति एवं अतिरिक्त शास्ति का अनुद्ग्रहण

विभाग ने क्रमशः 100 प्रतिशत व 85 प्रतिशत के बेंचमार्क के प्रति देशी शराब एवं भारत निर्मित विदेशी शराब का कम न्यूनतम गारंटीकृत कोटा उठाने पर ₹ 37.46 करोड़ की शास्ति या ₹ 1.58 करोड़ की अतिरिक्त शास्ति का उदग्रहण नहीं किया।

खुदरा आबकारी शुल्क एवं बोतलीकरण फीस के विलंबित भुगतान पर ब्याज का अनुद्ग्रहण

विभाग द्वारा क्रमशः 69 बिक्री-केन्द्रों के लाइसेंसधारियों एवं पांच विनिर्माताओं से लाइसेंस फीस के विलंबित भुगतान पर ₹ 41.16 लाख एवं बोतलीकरण फीस के विलंबित भुगतान पर ₹ 26.30 लाख की ब्याज राशि की मांग न करने के परिणामस्वरूप ₹ 67.46 लाख तक के ब्याज का उदग्रहण नहीं हुआ।

बोतलीकरण फीस की वसूली न करना

राज्य कर एवं आबकारी ने दो डिस्टिलरियों/बोतलीकरण संयंत्रों में ₹ 71.86 लाख की वसूली योग्य राशि के प्रति ₹ 34.96 लाख बोतलीकरण लाइसेंस फीस की वसूली की जो ₹ 36.91 लाख की अवसूली में परिणत हुई। इसके अतिरिक्त ब्याज भी उद्ग्रहणीय था।

देशी शराब की संदेहास्पद चोरी

थोक व्यापारी द्वारा बेची गई एवं खुदरा विक्रेताओं द्वारा उठाई गई मात्रा के मध्य मिलान न होना ₹ 24.05 लाख के खुदरा उत्पाद शुल्क से अंतर्ग्रस्त 8293.105 प्रूफ लीटर शराब की संदेहास्पद चोरी के रूप में परिणत हुई।

राजस्व विभाग

संपत्तियों के बाजारी मूल्य का अल्प निर्धारण

गलत सर्किल दरों के आधार पर गलत मूल्यांकन एवं सड़क से भूमि की दूरी के संबंध में झूठे शपथ-पत्र के परिणामस्वरूप ₹ 3.74 करोड़ के स्टाम्प शुल्क व पंजीयन शुल्क की कम वसूली हुई।

पट्टा-विलेखों पर स्टाम्प शुल्क व पंजीयन फीस की अल्प वसूली

पट्टा-विलेखों पर देय स्टाम्प शुल्क व पंजीयन फीस की गणना हेतु बाजारी दरों का उपयोग नहीं किया गया, जो ₹ 0.43 करोड़ की अल्प वसूली में परिणत हुआ।

हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग

ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने हेतु देय राशि की अल्प वसूली

ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने के पश्चात् सड़क के जीर्णोद्धार हेतु सही दरें लागू करने में विभाग की विफलता सार्वजनिक संसाधनों की सुरक्षा में लापरवाही को परिलक्षित करती है, जो ₹ 0.55 करोड़ की अल्प वसूली में परिणत हुई तथा वांछित गुणवत्ता मानकों पर सड़क को सुधारने में विभाग की क्षमता के साथ समझौता करना पड़ा।

सड़क निर्माण-कार्य में निष्फल व्यय एवं ठेकेदार को अनुचित लाभ

अपूर्ण सड़क निर्माण-कार्य पर ₹ 3.34 करोड़ के निष्फल व्यय सहित माप पुस्तिकाओं में फर्जी प्रविष्टियों पर भुगतान करने के अतिरिक्त हेरफेर/ सांठगांठ पूर्ण बोली के कारण ₹ 0.38 करोड़ का अनुचित लाभ प्रदान किया गया।

सड़क के सुदृढ़ीकरण/चौड़ीकरण के कार्य पर ठेकेदार को अनुचित लाभ

निलंबित सड़क कार्य हेतु ठेकेदार को ₹ 6.15 करोड़ का अनधिकृत/अनियमित अग्रिम भुगतान करके एवं उसे समायोजित/वसूली न करके, विलंब हेतु ₹ 0.82 करोड़ के परिसमापन क्षति का उद्ग्रहण न करके, ₹ 0.62 करोड़ की अस्वीकृत मूल्य वृद्धि प्रदान करके अनुचित लाभ प्रदान किया गया; इसके अतिरिक्त ठेकेदार को अग्रिम भुगतान करने के लिए अन्य योजनाओं (योजनाओं) हेतु प्राप्त नाबार्ड ऋण राशि को पथांतरित (डायवर्ट) कर दिया गया जिससे ब्याज देयता उत्पन्न हुई।

जल शक्ति विभाग

नलकूपों के निर्माण पर अनावश्यक एवं निष्फल/अप्रभावी व्यय

नलकूप योजनाओं हेतु प्रस्तावित स्थलों पर कार्य प्रारंभ करने से पूर्व जल-निकासी का वैज्ञानिक व्यवहार्यता मूल्यांकन न करना परित्यक्त योजनाओं पर ₹0.92 करोड़ के अनावश्यक व्यय एवं मामूली रूप से कार्यशील योजनाओं पर अप्रभावी व्यय के रूप में परिणत हुआ, इसके अतिरिक्त अन्य योजनाएं अनुमोदन के सात वर्ष बीत जाने के बाद भी अपूर्ण रही, जिसके परिणामस्वरूप लाभार्थी सिंचाई सुविधाओं से वंचित रह गए।

सीवरेज योजना के कार्यान्वयन पर अनावश्यक एवं निष्फल व्यय

अपर्याप्त योजना तथा भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित न करने के कारण ठियोग नगर में सीवरेज योजना के कार्यान्वयन में 12 वर्षों का अत्यधिक विलम्ब हुआ जिससे ₹ 5.12 करोड़ का व्यय निष्फल रहा।

ग्रामीण विकास विभाग

राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत परियोजनाओं का अनुचित कार्यान्वयन

राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन ने कार्यक्रम कार्यान्वयन एजेंसियों से ₹ 2.06 करोड़ की कम निष्पादन गारंटी की मांग की एवं खराब कार्यान्वयन के लिए चूककर्ताओं पर ₹ 0.74 करोड़ की वसूली अधिरोपित करने में विफल रहा। इसके अतिरिक्त कार्यक्रम कार्यान्वयन एजेंसियों के माध्यम से परियोजनाओं के कार्यान्वयन में तेजी लाने में विफल होने से 11,100 के लक्ष्य की तुलना में 5,262 (47 प्रतिशत) अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण दिया गया एवं 70 प्रतिशत प्रशिक्षितों के अनुबंध के विरुद्ध 36 प्रतिशत अभ्यर्थियों की नियुक्ति की गई। खराब प्रदर्शन के कारण एवं उस पर किए गए ₹ 2.05 करोड़ के व्यय से अभीष्ट उद्देश्य की पूर्ति न होने के कारण राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन को तीन परियोजनाएं पूर्ण किए बिना बंद कारण पड़ी।

परिवहन विभाग

प्रावधानों में विरोधाभास के परिणामस्वरूप बस-अड्डों के छूट प्राप्तकर्ताओं द्वारा अड्डा शुल्क का अनुचित संग्रहण

छूट प्राप्तकर्ताओं को कार्य पूर्ण होने की तिथि के बजाय अनुबंध पर हस्ताक्षर करने की तिथि से अड्डा शुल्क संग्रहित करने की अनुमति देने से उन्हें ₹ 2.76 करोड़ का अनुचित लाभ मिला।

राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों पर स्वतंत्र लेखापरीक्षा टिप्पणियां

हिमाचल प्रदेश विद्युत संचार निगम सीमित

बोली दस्तावेज में उपयुक्त खंड सम्मिलित न करने के परिणामस्वरूप परीक्षण शुल्क का परिहार्य भुगतान

बोली दस्तावेज में उपयुक्त खंड सम्मिलित करने में कंपनी की विफलता के परिणामस्वरूप ₹ 10 करोड़ के परीक्षण शुल्क का परिहार्य भुगतान हुआ।

हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत् बोर्ड सीमित

हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड सीमित में एकीकृत विद्युत विकास योजना के तहत प्रणाली सुदृढ़ीकरण से संबंधित ठेकों की लेखापरीक्षा

कंपनी ने सौर संयंत्रों से संबंधित (2018-19) ठेके सौंपे जिसकी दरें हिम ऊर्जा द्वारा अनुमोदित दरों से ₹ 5.14 करोड़ अधिक थीं। उसने अनुचित आधार पर समय विस्तार को अनुमति दी जिसके परिणामस्वरूप ₹ 57.60 लाख राशि की परिसमापन क्षति का उदग्रहण नहीं हुआ।

ठेकेदारों को सौर संयंत्रों पर पांच प्रतिशत की प्रयोज्य दर के स्थान पर 18 प्रतिशत की दर से वस्तु एवं सेवाकर का भुगतान किया गया (जनवरी 2019 से दिसंबर 2019) जो ₹ 21.03 लाख के अतिरिक्त भुगतान में परिणत हुआ।

शिमला जल प्रबंधन निगम सीमित

अनुबंध मांग एवं मानक वोल्टेज आपूर्ति में संशोधन न करने के कारण परिहार्य व्यय

शिमला जल प्रबंधन निगम लिमिटेड की तीन उठाऊ जलापूर्ति योजनाओं में वास्तविक अधिकतम दर्ज मांग के अनुसार अनुबंध मांग को संशोधित करने में विफलता के कारण ₹ 5.67 करोड़ के मांग शुल्क का परिहार्य व्यय/ देयता हुई। शिमला जल प्रबंधन निगम लिमिटेड द्वारा गलत तरीके से लगाए गए ₹ 0.23 करोड़ के संविदा मांग उल्लंघन प्रभार का भुगतान किया गया। इसके अतिरिक्त, शिमला जल प्रबंधन निगम लिमिटेड ने मानक आपूर्ति वोल्टेज से कम वोल्टेज पर ऊर्जा आपूर्ति का लाभ उठाया, जिसके परिणामस्वरूप कम वोल्टेज आपूर्ति अधिभार के कारण ₹ 5.14 करोड़ का परिहार्य व्यय हुआ।